सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 239 / प्रा0पत्र / 2025 दायरा दिनांक :—08.08.2025

GCMS ID-2025 / 260

बउनवान

1. लोकेश जागिंड आयु 24 वर्ष पित्ता रामदयाल जाति खाती निवासी फतेहगढ़
2. विनोद जागिंड आयु 25 वर्ष पिता रामदयाल जाति खाती निवासी फतेहगढ़
3. मोसमी कुमारी जांगिड आयु 22 वर्ष पुत्री रामदयाल जाति खाती निवासी फतेहगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज०

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन।
वकील अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक :— 20 / 02 / 2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या नया 78 पुराना 81 ख.सं. 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,176 कुल किता 11 कुल रकबा 4.2573 हैक्टेयर वाके ग्राम बिशनपुरा पटवार मण्डल बिशनपुरा में विरिथत है जो प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी मे दर्ज है, जिस पर प्रार्थीगण अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। भूमि खाता संख्या नया 69 पुराना 62 ख.सं. 101,75 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6151 हैक्टेयर वाके ग्राम फतेहगढ़ पटवार मण्डल बिशनपुरा मे विरिथत है, जो प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है, प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर निर्वाध रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी संख्या 1 विनोद जांगिड पिता रामदयाल के स्थान पर नाबालिग मनोज पिता दयाला व प्रार्थी संख्या 2 लोकेश जांगिड पिता रामदयाल के

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

स्थान पर नाबालिग मुकेश पिता दयाला व प्रार्थी संख्या 3 मोसमी कुमारी जागिंड पुत्री रामदयाल के स्थान पर नाबालिग मोसमी कुमारी पुत्री दयाला जबकि वर्तमान मे प्रार्थीगण रूप पूर्ण से बालिग हो चुके है एवं प्रार्थीगण के सही नाम विनोद जागिंड पिता रामदयाल, लोकेश जागिंड पिता रामदयाल, मोसमी कुमारी जागिंड पुत्री रामदयाल है, जो प्रार्थीगण के सभी सरकारी दस्तावेज मे दर्ज है, इसलिये उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थीगण के सभी सरकारी दस्तावेजात राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड, आदि में प्रार्थीगण का नाम विनोद जागिंड पिता रामदयाल, लोकेश जागिंड पिता रामदयाल, मोसमी कुमारी जागिंड पुत्री रामदयाल लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियो में प्रार्थीगण का नाम नाबालिग मनोज पिता दयाल, नाबालिग मुकेश पिता दयाला, नाबालिग मोसमी कुमारी पुत्री दयाला दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओ का लाभ भी नहीं ले पा रहे है। तथा प्रार्थीगण को काफी समस्याओ का सामना करना पड रहा है, जबकि प्रार्थीगण के सही नाम विनोद जागिंड पिता रामदयाल, लोकेश जागिंड पिता रामदयाल, मोसमी कुमारी जागिंड पुत्री रामदयाल है तथा पहचान के सभी दस्तावेजात में भी उक्त नाम ही दर्ज है, इसलिये राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे सही नाम विनोद जागिंड पिता रामदयाल, लोकैश जागिंड पिता रामदयाल, मोसमी कुमारी जागिंड पुत्री रामदयाल दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नामो के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 15.07.2025 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमिया के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रार्थीगण का नाम नाबालिग मनोज पिता दयाल, नाबालिग मुकेश पिता दयाला, नाबालिग मोसमी कुमारी पुत्री दयाला के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर उक्त स्थान पर सही नाम विनोद जागिंड पिता रामदयाल, लोकेश जागिंड पिता रामदयाल, मोसमी कुमारी जागिंड पुत्री रामदयाल दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम दर्ज करावे। भूमिया ग्राम बिशनपुरा व फतेहगढ पट्वार मण्डल बिशनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित भूमि वाके ग्राम बिशनपुरा व फतेहगढ के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रार्थीगण का नाम नाबालिग मनोज पिता दयाल, नाबालिग मुकेश पिता दयाला, नाबालिग मोसमी कुमारी पुत्री दयाला के स्थान पर विनोद जागिंड पिता रामदयाल, लोकेश जागिंड पिता रामदयाल, मोसमी कुमारी जागिंड पुत्री रामदयाल राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी मे दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/425 दिनांक :–05.02.2026 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिशनपुरा के खाता संख्या 78 व ग्राम फतेहगढ के खाता संख्या 69 में प्रार्थीगण सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों अनुसार उक्त खाता नम्बरों में दर्ज नाबा0 मनोज पुत्र दयाला, नाबा0 मुकेश पुत्र दयाला व नाबा0 मौसमी पुत्री दयाला व विनोद पुत्र रामदयाल व लोकेश पुत्र रामदयाल व मौसमी कुमारी पुत्री रामदयाल एक ही नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज नाबा0 मनोज पुत्र दयाला, नाबा0 मुकेश पुत्र दयाला व नाबा0 मौसमी पुत्री दयाला के स्थान पर पर प्रार्थीगण के शुद्ध नाम विनोद पुत्र रामदयाल व लोकेश पुत्र रामदयाल व मौसमी कुमारी पुत्री रामदयाल दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का सही नाम विनोद पुत्र रामदयाल व लोकेश पुत्र रामदयाल व मौसमी कुमारी पुत्री रामदयाल है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं रिपोर्ट तहसीलदार, हिण्डोली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, माध्यमिक बोर्ड अंकतालिका, बैंक खाता डायरी पेश किए है जिसमें प्रार्थीगण के सही नाम विनोद पुत्र रामदयाल, लोकेश पुत्र रामदयाल, मौसमी कुमारी पुत्री रामदयाल है। प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम फतेहगढ प0मं0 बिशनपुरा के खाता संख्या 69 व भूमि वाकें ग्राम बिशनपुरा पटवार मण्डल बिशनपुरा के खाता संख्या 78 में दर्ज प्रार्थीगण के नाम नाबा0 मनोज पुत्र दयाला, नाबा0 मुकेश पुत्र दयाला व नाबा0 मौसमी पुत्री दयाला के स्थान पर विनोद पुत्र रामदयाल व लोकेश पुत्र रामदयाल व मौसमी कुमारी पुत्री रामदयाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :–20.02.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

20/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446